

के० के० पाठक

भा.प्र.से.

प्रधान सचिव

लघु जल संसाधन विभाग

बिहार, पटना



K. K. Pathak

I.A.S.

Principal Secretary

Minor Water Resources Department

Bihar, Patna

Ref. 378 (भा०)

पटना/दिनांक 14-03-19

प्रिय **श्रीवद,**

विषय:—असफल नलकूपों (Failed Tubewell) के संबंध में ।

आप अवगत हैं कि सभी राजकीय नलकूप पंचायतों को दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है। विभाग में कुल 10239 नलकूप हैं, इसमें से लगभग 1000 असफल नलकूप हैं। अतः लगभग 9200 नलकूप पंचायतों को दिया जाना था, उसके विरुद्ध अभी तक 8704 नलकूप पंचायतों को दिया जा चुका है। शेष इसी सप्ताह में दे दिए जाएंगे।

उपरोक्त अभियान आपके सहयोग के कारण सफल हो पाया है।

उक्त अभियान के दौरान एक बात सामने आयी कि असफल (Failed) नलकूपों की संख्या सही गिनती विभाग के पास नहीं है। ऐसा संभवतः इसलिए है कि विभाग ने कभी "असफल नलकूप" की कोई परिभाषा नहीं तय की। इसका नतीजा यह हुआ कि किसी जिले में जब-जब कार्यपालक अभियंता बदलते हैं, तब तब असफल नलकूपों की गिनती भी बदलती है। किसी कार्यपालक अभियंता की नजर में कोई नलकूप असफल है तो उसके बाद आने वाले कार्यपालक अभियंता की नजर में वह नलकूप "असफल" (Failed) नहीं था।

उपरोक्त कारणों से असफल नलकूपों की गिनती कभी स्थिर नहीं हो पायी।

जब पंचायतों को राजकीय नलकूप हस्तांतरित किये जाने लगे तो कुछ जिलों में उक्त "असफल नलकूप" भी हस्तांतरित किये गये, जो मेरे विचार से एक अच्छा कदम है।

अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने यह तय किया कि "असफल नलकूप" की श्रेणी को ही समाप्त किया जाय और सभी "असफल नलकूपों" को भी पंचायतों को हस्तांतरित किया जाय। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि इन "असफल नलकूपों" को भी ठीक करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता उसका DPR बनाकर विभाग में भेजे।

आप से अनुरोध है कि आप पंचायतों को निदेशित करें कि अपने क्षेत्र में पड़ने वाले "असफल नलकूपों" (Failed Tubewell) को अपने प्रभार में लें और मरम्मत की राशि विभाग से प्राप्त कर उन असफल नलकूप को चालू करने का प्रयास करें।

अतः उपरोक्त के आलोक में यह निदेशित किया जाता है कि आपके जिले के "असफल नलकूपों" को अनिवार्य रूप से पंचायतों को हस्तांतरित किया जाय।

**सादर**

सभी उप विकास आयुक्त  
बिहार।

भवदीय

(के० के० पाठक)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 378 (मौ०)

पटना, दिनांक:- 14-03-19

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव(श्री प्रकाश एवं श्री कुमार)/उप सचिव(श्री प्रसाद एवं श्रीमति सिंह)/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- 378 (मौ०)

पटना, दिनांक:- 14-03-19

प्रतिलिपि:-सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि आप सभी असफल नलकूपों (Failed Tubewell) को पंचायतों को हस्तांतरित करें और उन असफल नलकूपों की मरम्मत हेतु DPR बनाकर विभाग को भेजें।

प्रधान सचिव।